न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—119/2022

प्रार्थीनी :—

1. प्रेमकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी खाखरलाई हाल निवासी भाटीखेड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना
2. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई कृषि विकास शाखा सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— श्री ललित जांगीड़ वकील प्रार्थीगण

—:: आदेश ::— दिनांक :— 01.01.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1107/131 रकबा 01.7705 हैक्टेयर ग्राम भाटीखेड़ा तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थीनी इसी अनुसार अपने हक की भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। ऑनलाईन तरमीम वक्त प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 1107/131 के बदिशा पूर्व व पश्चिम में प्रार्थीनी का हिस्सा कम दरसा दिया। जिससे विवादित भूमि की तरमीम अशुद्ध दर्ज हो गयी। अतः प्रार्थीनी ने माफिक कब्जाकाश्त एवं नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज किया गया।तहसीलदार सिवाना ने जरिये पत्र कमांक—भू.अ./2022/2921 दिनांक 21.11.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। रिपोर्ट के अनुसार राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस में उक्त खसरे की तरमीम मौका अनुसार सही है किन्तु भू—नक्शा ऑनलाईन साईट पर उक्त खसरे का नक्शा, राजस्व नक्शा के अनुसार सही नहीं होना बताया है। रिपोर्ट में तहसीलदार सिवाना ने प्रार्थीनी की कब्जाकाश्त एवं राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.19 17:24:30 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। [illegible] के अनुसार विवादित भूमि की ऑनलाईन लट्ठा नक्शा में [illegible] मौके पर कब्जास्थिति में भिन्नता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट [illegible] ऑनलाईन लट्ठा नक्शा में अशुद्ध तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने हेतु उचित बताया है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उमसर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1107/131 रकबा 01.7705 हैक्टेयर भूमि की ऑनलाईन लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 01.01.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.19 17:24:30 IST
Reason: SelfAttested